कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा ।

पत्रांक / मान्यता / अ०मा० / 17384–90 / 2018–19 दिनांक 05 मार्च 2019

सेवा में,

प्रबन्धक,
भारतीय विद्या भवन स्कूल,
धांधूपुरा रोड–आगरा ।

विषय :– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम–15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए **अंग्रेजी माध्यम का मान्यता** प्रमाण पत्र ।

महोदय / महोदया,

आपके दिनांक 30.08.2018 के आवेदन–भारतीय विद्या भवन स्कूल, धांधूपुरा रोड़–आगरा (विद्यालय का नाम, पते सहित) को दिनांक **01.04.2019 से दिनांक 31.03.2022** तक तीन वर्ष की अवधि के लिए **कक्षा–नर्सरी से कक्षा आठ तक** के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किए जाने के अध्याधीन है :–

1– मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा के पश्चात मान्यता / सबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2– विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 (उपाबंध–1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध–2) के उपबंधो का पालन करेगा ।

3– विद्यालय कक्षा 1 में (या यथा स्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा ।

4– पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियॉ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा ।

5– सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा ।

6– विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा । विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेंगा:–

1– प्रवेश दिए गये किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

Manager
Bhartiya Vidhya Bhawan School
Dhandhupura Road, Agra

Principal
Bhartiya Vidhya Bhawan School
Dhandhupura Road, Agra

Scanned with OKEN Scanner

3– प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

4– प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा ।

5– अधिनियम के उपबंध के अनरुार निःशक्तता प्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना ।

6– अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम् अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम् अर्हताएं नहीं है, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम् अर्हताएं अर्जित करेंगे।

7– अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करत हैः और

8– अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापक कियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7– विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेंगा

8– विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा । अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैः–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल – 836 वर्ग मीटर
कुल निर्मित क्षेत्र –747 वर्ग मीटर
कीड़ा–स्थल का क्षेत्रफल – हॉ
कक्षाओं की संख्या –16
प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह भांडागार के लिए कक्ष –03
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय--02–02
पेयजल सुविधा – हॉ, समर सेबिल द्वारा
मिड–डे-–मील पकाने के लिए रसोई– –
बाधारहित पहुंच – हॉ, डामर रोड

अध्यापक पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूदउपस्करों/ पुस्तकालय की उपलब्धता–हॉ

9– विद्यालय के परिसरो के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाएं नही चलाई जाएंगी ।

10– विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11– विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12– स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13– विद्यालय के लेखों की किसी चार्टर्ड आकाउण्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए । प्रत्येक लेखा विवरण.की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए ।

14– आपके विद्यालय को आवंटित **मान्यता कोड संख्या (17384–90)** है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्या का उल्लेख करें।

15– विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा

Manager
Bhartiya Vidhya Bhawan School
Dhandhupura Road, Agra

Principal
Bhartiya Vidhya Bhawan School
Dhandhupura Road, Agra

जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं ।

16— सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

17— प्रत्येक कक्षानुभाग में प्रति छात्र 09 वर्ग फीट की दर से स्थान उपलब्ध होगा। प्रत्येक कक्षा—कक्ष में कम से कम 20 बच्चों के बैठने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होगी । यदि कक्षा—कक्ष माप के अनुसार बच्चों का प्रवेश नहीं किया जाएगा अर्थात् अधिक बच्चे प्रवेश किए जायेगें तो मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही की जाएगी।

18— संलग्न उपबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त ।

भवदीय

(आनन्द प्रकाश शर्मा)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
आगरा

पृ0सं0 / मान्यता / अं0मा0 / 17384—90 / 2018—19 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नॉकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1—शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 निशातगंज—लखनऊ ।
2—सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद ।
3—अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक), शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 इलाहाबाद ।
4—मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), आगरा ।
5—जिला समाज कल्याण अधिकारी, आगरा ।
6—संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी (ग्रामीण / नगर) जनपद आगरा ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
आगरा

Manager
Bhartiya Vidhya Bhawan School
Dhandhupura Road, Agra

Principal
Bhartiya Vidhya Bhawan School
Dhandhupura Road, Agra

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा ।

पत्रांक/ 2236-62 /2025–26 दिनाक 30-07-2026

प्रबन्धक,
भारतीय विद्या भवन स्कूल,
धॉधूपुरा रोड–आगरा।

आप द्वारा अपने पत्र दिनांक 24.03.2026 के माध्यम से विद्यालय की मान्यता को स्थायी करने हेतु आवेदन/प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। कार्यालय अभिलेखानुसार **भारतीय विद्या भवन स्कूल धॉधूपुरा, आगरा** को इस कार्यालय के पत्रांक/मान्यता/अं0मा0/17384–90/2018–19 दिनांक 05 मार्च 2019 के द्वारा **नर्सरी से कक्षा–08 तक माध्यम–अंग्रेजी की तीन वर्ष की अवधि के लिए अस्थायी/अनंनतिम मान्यता प्रदान की गयी थी।**

इस कार्यालय के उक्तवत पत्र दिनांक 05 मार्च 2019 द्वारा प्रदान की गयी उक्त मान्यता सम्बन्धित शासनादेश संख्या–419/79–6–2013–18(20)/89 शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ दिनांक 08 मई 2013 में एवं शासनादेश संख्या–575/68–3–2008–2041/2023 बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 26 सितम्बर 2023 द्वारा किए गये संशोधन आदेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार मान्यता की नवीन शर्ते पूर्ण करने तथा विद्यालय के विरूद्व कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित न होने के आधार पर **विद्यालय को उक्तवत दी गयी मान्यता अब स्थायी श्रेणी की मानी जायेगी** । विद्यालय को भविष्य में भी स्थायी मान्यता की शर्तो के मानक को बनाये रखना होगा अन्यथा की विद्यालय की मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

(जितेन्द्र कुमार गोंड)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
आगरा।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि खण्ड शिक्षा अधिकारी बरौली अहीर, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
आगरा।

Manager
Bhartiya Vidhya Bhawan School
Dhandhupura Road, Agra

Principal
Bhartiya Vidhya Bhawan School
Dhandhupura Road, Agra

Scanned with OKEN Scanner